संख्या-98/2022/001-2269495/12-2099/92/2022

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2022

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-83 की लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8920-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी (एन.एम.ए.ई.टी.) के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अभि./1204/एस.एम.ए.एम.-स्पे0कम्पो0-रा0/लेखा/2022-23, दिनॉक 30 नवम्बर, 2022 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-83 में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8920-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाजी (एन.एम.ए.ई.टी.) के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन के मानक मद 27-सब्सिडी में रूपये 2768.00 लाख तथा 42-अन्य व्यय में धनराशि रूपये 32.00 लाख अर्थात कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 2800.00 लाख के सापेक्ष मानक मद 27-सब्सिडी में धनराशि रूपये 1939.86 लाख एवं 42-अन्य व्यय में धनराशि रूपये 2.45 लाख अर्थात कुल धनराशि रूपये 1942.31 लाख (**रूपये उन्नीस करोड़ बयालिस लाख इकतीस हजार मात्र**) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैंः-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।
3. स्वीकृत धनराशि उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका रहेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही करते हुए व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व आपके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि अवश्य प्राप्त होगी। आपके द्वारा केन्द्रांश प्राप्त करने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लिये प्रभावी पैरवी अवश्य किया जायेगा तथा केन्द्रांश की प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों एवं उपलब्धि से प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को शासन को अवगत कराया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाएगी। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

10. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पश्चात आपके द्वारा यह निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा कि योजनान्तर्गत निर्गत राज्यांश के सापेक्ष अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा की गयी है।

13. उक्त स्वीकृत धनराशि वित्त (आय व्यक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं शासनादेश दिनांक 10.11.2022 के साथ संलग्नक दिनांक 08.11.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कोषागार से आहरित कर योजना के एस.एन.ए. एकाउन्ट में रखे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं शासनादेश दिनांक 10.11.2022 के साथ संलग्नक दिनांक 08.11.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 19,39,86,000 (रुपये उन्नीस करोड़ उन्तालिस लाख छियासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2401007898920 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाजी (एन.एम.ए.ई.टी.) के अन्तर्गत सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन **मानक मद** 27 सब्सिडी (*2*) रुपये 2,45,000 (रुपये दो लाख पैतालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2401007898920 नेशनल मिशन ऑन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाजी (एन.एम.ए.ई.टी.) के अन्तर्गत सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-308-X-2022-23, दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-98/2022/001-2269495(1)/12-2099/92/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्ततर प्रदेश, प्रयागराज,
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नईदिल्ली,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
7. वित्त (व्यिय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।